न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर

पीठासीन अधिकारी – रतन कौर, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 50/2024

श्री घीसूलाल पुत्र श्री चतुर्भुज, जाति भांगी, निवासी ग्राम भांवता, तहसील व जिला अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1– श्री कैलाश पुत्र श्री मंगनाराम, जाति मेघवाल, निवासी कॉलोनी तेतरवालो की ढाणी, नीम का थाना, जिला सीकर, राजस्थान

2– बैंक ऑफ बड़ौदा जरिये ब्रांच मैनेजर, भांवता

3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर

.....अप्रार्थीगण

4– मोनिका

5– कनिका

पुत्रियां श्री छोगा, निवासीगण अयोध्या नगरी, धोलाभाटा, अजमेर

.....प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री श्रवणसिंह गौड़, वकील प्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांक –30.03.2026

1. प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इसी उनवान वाद के साथ प्रस्तुत किया है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अन्तिम चौसाला आधार जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 अनुसार खाता संख्या नया 398 व पुराना 105 के खसरा संख्या 641 रकबा 0.63 है0, खसरा संख्या 642 रकबा 0.41 है0, खसरा संख्या 643 रकबा 0.02 है0 एवं खसरा संख्या 644 रकबा 0.55 है0 भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की पैतृक कृषि भूमि ग्राम भांवता में स्थित है, जो कि अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की माता श्रीमति गंगा पत्नि छोगा के 2/3 हिस्सा की स्वामित्व की भूमि थी। उक्त आराजी को श्रीमति गंगा पत्नि छोगा ने अपने जीवनकाल में दिनांक 08.12.2014 को एक वसीयत प्रार्थी के नाम निष्पादित कराई एवं गंगा पत्नि छोगा की मृत्यु के पश्चात उक्त वसीयत के आधार पर प्रकरण संख्या 53/1578/2022 उनवान घीसूलाल बनाम मोनिका वगै0 आदेश दिनांक 24.02.2023 को उनके 2/3 हिस्से में से प्रार्थी को 1/3 हिस्से का अधिकारी माना लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने रजिस्ट्री के आधार पर गंगा पत्नि छोगा के सम्पूर्ण हिस्से का नामान्तरकरण अपने नाम करवा लिया। विवादित आराजी में प्रार्थी 1/3 हिस्से में काविज काश्त है एवं अप्रार्थी संख्या 1 ने नामान्तरकरण का फायदा उठाकर गंगा पत्नि छोगा एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 4 व 5 से खरीद करके प्रार्थी की 1/3 हिस्से की भूमि की भी रजिस्ट्री करवाकर नामान्तरकरण अपने नाम खुलवा लिया जो अविधिक व विधि विरूद्ध है। विवादित आराजियात प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त स्वामित्व की कृषि आराजियात है एवं वर्तमान में विधिक बंटवारा नहीं के कारण प्रार्थी का भूमि में सम्पूर्ण हिस्से के प्रत्येक हिस्से पर समान अधिकार है। बिना विधिक बंटवारे के अप्रार्थी संख्या

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

1 उक्त आराजियात के विशेष भाग को लेकर कब्जा निर्माण, खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। दिनांक 03.06.2024 को प्रार्थी ने उक्त कृषि भूमि को बंटवारे हेतु एवं वसीयत के आधार पर 1/3 हिस्से की कृषि भूमि पर स्वयं का अधिकार व स्वामित्व होने व बंटवारा करने का निवेदन करने पर अप्रार्थी संख्या 1 लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो गया एवं विशेष खसरा नंबर पर निर्माण कार्य कर व अन्यत्र बेचान करने पर उतारू है। विवादित आराजियात प्रार्थी के संयुक्त स्वामित्व व रिकॉर्डेड खातेदारी की है एवं प्रार्थी आराजियात का रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्त होकर वैधानिक अधिकार प्राप्त है। फलस्वरूप प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि उसे विवादित आराजियात से जबरन बेदखल व खुर्द बुर्द कर उसके वैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया तो उसे अपूर्णीय क्षति होगी जिसक मूल्यांकन मुद्रा में नहीं आंका जा सकता। इस प्रकार अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर विवादित आराजियात के प्रार्थी के उपयोग उपभोग एवं काबिज काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने और खुर्द बुर्द नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण एवं उनके नौकर, चाकर, एजेन्ट, एसाईनीज, वैध प्रतिनिधि इत्यादि को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 4 व 5 जरिये वकील श्री तुलवीरसिंह उपस्थित हुए। वरवक्त बहस प्रार्थना पत्र वकील अप्रार्थी संख्या 1, 4 व 5 उपस्थित नहीं आये।
3. हमने विद्धान वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का तथा विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2072 से 2075 पेश की है जिसके अनुसार विवादित भूमि वर्तमान में संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। जिसका विधिक रूप से बंटवारा नहीं हो रखा है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार उक्त वर्णित विवादित आराजियात में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को काश्त करने में लड़ाई झगड़ा व बाधा उत्पन्न करते हैं एवं विवादित आराजियात के विशेष खसरा नंबर पर निर्माण कार्य व खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। प्रार्थी द्वारा विभाजन करने का अनुरोध करने पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा इन्कार करने पर मजबूरन बंटवारे का वाद न्यायालय में प्रस्तुत करना बताया है। उक्त वाद के निर्णय तक अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल व खुर्द बुर्द कर उसके वैधानिक अधिकारों से वंचित किया जाता है तो प्रार्थी को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति मुद्रा में करना संभव नहीं है। प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि में संयुक्त रूप से खातेदार दर्ज है। विधि के प्रतिपादित प्रावधानों के तहत संयुक्त खातेदार को अपने सह–खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकार नहीं है। संयुक्त खातेदारी में प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक हिस्से पर अधिकार होता है। इसी प्रकार प्रत्येक खातेदार को अपने हक हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने का कानूनन अधिकार है। प्रार्थी विवादित आराजी में रिकॉर्डेड खातेदार है तथा खातेदारी में प्रार्थी का हक हिस्सा निर्धारित है। जिसका विधिवत बंटवारा करवाने हेतु प्रार्थी ने पृथक से न्यायालय में वाद पेश कर रखा है। जिसे प्रार्थी साक्ष्य सबूतों के आधार पर सिद्ध करे। अप्रार्थी संख्या 1 भी उक्त आराजियात में रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है व उनका हक हिस्सा भी निर्धारित है। प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थी संख्या 1 को उनके हक हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित करने के अधिकारी नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिये प्रार्थी को तीन बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति को सिद्ध करना आवश्यक था। विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है तथा प्रत्येक का राजस्व रिकार्ड में

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) * अजमेर *

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

हक हिस्सा अंकित है, जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 अपनी सुविधानुसार मौके पर करते आ रहे हैं। जिससे प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी ने स्वयं अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 का संयुक्त कब्जा काश्त है व उपयोग उपभोग कर रहे हैं। जब प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात के संयुक्त व रिकॉर्डेड खातेदार है एवं मौके पर उपयोग उपभोग कर रहे हैं तो उन्हे अपूर्णीय क्षति किस प्रकार हो रही है, इस तथ्य को वे सिद्ध नहीं कर पाये हैं, वे असफल रहे हैं, जिससे अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होता है एवं प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) * अजमेर *

(रतन कौर)
सहायक कलक्टर (मुख्यालय)
अजमेर